भगवती डवलपर्स प्रा. लि.

बनाम

पीयरलेस जनरल फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड वगैरा

(सिविल अपील नं. 7445/2004)

जुलॉई 15, 2013

प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनयम, 1956%

धारा 13 - अधिसूचित क्षेत्रों में अनुबंध कुछ परिस्थितियों में अवैध - पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी (पर्टेस) के शेयरों का स्थानांतरण - प्रतिपादित किया गया : हस्तगत मामले में, वह स्थान जहां विचाराधीन शेयरों की बिक्री का अनुबंध दर्ज किया गया है धारा 13 के प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र - इसके अलॉवा, अनुबंध किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के बीच नहीं है और इसलिए, जैसा कि उसके पास है

कंपनी लॉ बोर्ड, धारा 13 का उल्लंघन है।

एस। 2 (एच) (i) - 'प्रतिभूतियां' - 'पर्ललेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर - धारित: सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों को प्रतिभूतियों की परिभाषा के भीतर आने के लिए उन्हें संतुष्ट करना होगा कि वे विपणन योग्य हैं - 'विपणन क्षमता' निःशुल्क हस्तांतरणीयता की आवश्यकता है - कुछ एफ सीमित वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन, शेयरधारकों के पास अपने शेयरों को हस्तांतरित करने का अधिकार है, जब भी और जिसे वे चाहें - यह वह अधिकार है जो निःशुल्क हस्तांतरणीयता की आवश्यकता को पूरा करता है - पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर हालाँकि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, 'प्रतिभूतियों' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और इसलिए, अधिनियम के प्रावधान धारा में निहित अभियोगों सहित लॉगू होंगे। .13 तत्संबंधी.

धारा 2(i) और 16 - 'स्पॉट डिलेवरी अनुबंध- समझाया गया -

पीयरलेस के शेयर हस्तांतरित - स्थानांतरण के 6 वर्ष से अधिक समय बाद विचार का एक हिस्सा पारित - आयोजित। लेन-देन धारा 2(i) में परिभाषित अभिव्यक्ति 'स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट' के अंतर्गत नहीं आता है और, इस प्रकार, धारा 16 और 27.6.1969 की अधिसूचना का उल्लंघन है - केंद्र सरकार अधिसूचना दिनांकित 27.6.1969.

30.10.1987 को प्रतिवादी सं. 2 पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी (प्रतिवादी संख्या 1) के 3530 शेयर ऋण के पुनर्भुगतान के माध्यम से अपीलकर्ता को हस्तांतरित करने पर सहमत हुए। लेकिन ट्रांसफर डीड न तो ठीक से भरे गए और न ही निष्पादित किए गए। इस बीच प्रतिवादी सं. 2 को बोनस शेयर प्राप्त हुए और अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या-02 के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। बोनस शेयरों की पात्रता के संबंध में। अंततः समझौता डिक्री दिनांक 28.11.1994 द्वारा यह निर्णय लिया गया। प्रतिवादी नं. 2 पूर्ण स्वामी के रूप में बरकरार रहेगा। निपटान के लिए विचार के हिस्से के रूप में लेखांकन वर्ष 1989-90 तक के संपूर्ण शेयरों का लॉभांश, इसके अलॉवा दिनांक 21.11.1994 के भुगतान आदेश द्वारा अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की गई 10 लॉख रुपये की राशि। तदनुसार, अपीलकर्ता पर 12.12.1994 ने 14120 के संबंध में हस्तांतरण विलेख दर्ज किया उनके स्थानांतरण के लिए पीयरलेस के साथ शेयर करता है। पीयरलेस ने इसे इस आधार पर पंजीकृत करने से इनकार कर दिया कि लेनदेन प्रतिभूति अनुबंध (पंजीकरण) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन था। कंपनी लॉ बोर्ड ने माना कि अपीलकर्ता के पक्ष में शेयरों का हस्तांतरण 1956 अधिनियम की धारा 13 और 16 के विपरीत था। उच्च न्यायालय के कंपनी न्यायाधीश ने भी अपीलकर्ता के ख़िलाफ़

फैसलाॅ सुनाया।

हस्तगत अपील में न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रश्न थे:

(i) "क्या जी रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान पब्लिक लिमिटेड के शेयरों पर लाॅगू होंगे कंपनी जो निश्चित रूप से किसी भी स्टॉक पर सूचीबद्ध नहीं है एक्सचेंज?" और

(ii) "क्या विचाराधीन अनुबंध स्पॉट डिलीवरी अनुबंध है"?

अपील को खारिज करते हुए, कोर्ट ने प्रतिपादित कियाः 1.1 प्रतिभूति अनुबंध की धारा 13 (विनियमन) अधिनियम, 1956 उस संबंध में अनुबंध निर्धारित करता है यदि मान्यता प्राप्त स्टॉक के सदस्यों के बीच के अलॉवा अन्यथा किया जाता है तो अधिसूचित क्षेत्रों में प्रतिभूतियों का भुगतान अवैध है। यह विवाद में नहीं है कि वह स्थान जहां विचाराधीन शेयरों की बिक्री के लिए अनुबंध विनियमन अधिनियम की धारा 13 के प्रयोजन के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र है। इसके अलॉवा, अनुबंध किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के बीच नहीं है। [पैरा 10-11 जे [558-ई; 559-सी-ई]

1.2 इसके बावजूद कि पीयरलेस, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जिसके संबंध में अपीलकर्ता ने सुधार की मांग की थी, के शेयर स्टॉक

एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, यदि शेयर धारा 2(एच) के तहत परिभाषित "प्रतिभूतियों" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। i) विनियमन अधिनियम की धारा 13 में निहित अभियोग लॉगू होंगे। विनियमन अधिनियम "प्रतिभूतियों में लेनदेन के व्यवसाय को विनियमित करके अवांछनीय लेनदेन" को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था और इससे कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि यह केवल स्टॉक ई पर शेयरों के हस्तांतरण पर लॉगू होना था। [पैरा 15 और 24] [560-एफ.-एफ; 565-डी-ई]

1.3 विनियमन अधिनियम कि धारा 2(एच)(i) में "प्रतिभूतियां" शब्द की परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर इसकी परिभाषा में नहीं आते हैं

प्रतिभूतियों से उन्हें संतुष्ट होना होगा कि वे विपणन योग्य हैं। "विपणन योग्य" शब्द को विक्रय योग्य शब्द के साथ जोड़ा गया है। ऐसे शेयर खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या निर्णायक नहीं होगी। जो आवश्यक है वह निःशुल्क हस्तांतरणीयता है। कुछ सीमित वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन, शेयरधारकों को अपने शेयर, जब और जिसे वे चाहें, स्थानांतरित करने का अधिकार है। यह वह अधिकार है जो निःशुल्क हस्तांतरणीयता की आवश्यकता को पूरा करता है। हालॉकि, जब क़ानून

कठोर शर्तों या प्रतिबंधों के साथ किसी निर्दिष्ट श्रेणी के लोगों को शेयरों के हस्तांतरण पर रोक लगाता है या सीमित करता है, तो शेयरधारकों का अधिकार स्थानांतरण या मुफ़्त हस्तांतरणीयता ख़तरे में पड़ जाती है और उस स्थिति में इन सीमाओं वाले शेयरों को विपणन योग्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर हालॉकि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, लेकिन प्रतिभूतियों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। विनियमन अधिनियम के प्रावधान लॉगू होंगे। [पैरा 16 और 18] [561-बी-सी, जी-एच; 562-ए-सी]

नरेश के अग्रवाल एंड कंपनी बनाम कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य **2010 (6) एससीआर 1 = (2010) 6 एससीसी 178 - पर भरोसा किया गया।**

बी.के.होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम प्रेम चंद जोफे मिल्स और अन्य। **(1983) 53 कॉम.केस 367 (कैलोरी);** ईस्ट इंडियन प्रोड्यूस लिमिटेड बनाम नरेश आचार्य भादुडी और अन्य। **(1988) 64 कॉम. मामले 259 (कैलोरी) - स्वीकृत।**

ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड बनाम यू.बी. लिमिटेड और अन्य। **(1994) 79 कॉम.केस 346 (बीएचसी) - अस्वीकृत।**

दही बेन उमेदभाई पटेल वगैरा बनाम नोरमन जेम्स हेमिल्टन वगैरा **(1958) 57 कॉम केसस 700 (बी एच सी) विशिष्ट**

ब्लैक्स लॉं डिक्सनरी (छठा संस्करण) आैर आॅक्सफोर्ड इंग्लिस डिक्सनरी **1 पे. 1728- निर्दिष्ट**

2.1 विनियमन अधिनियम की धारा 16(1) शक्ति प्रदान करती है केंद्र सरकार पर कुछ हद तक अनुबंधों पर रोक लगाने का आदेश मामले. प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में अवांछनीय शर्तों को रोकें किसी भी राज्य या क्षेत्र को केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित करने में सक्षम है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में या अधिसूचना में निर्दिष्ट जी क्षेत्र, के साथ सहेजा जाएगा केंद्र सरकार की अनुमति से किसी में भी प्रवेश करें में निर्दिष्ट किसी भी सुरक्षा की बिक्री या खरीद के लिए अनुबंध अधिसूचना. केंद्र सरकार की कवायद उक्त शक्ति, अधिसूचना दिनांक 27.6.1969 जारी की गई तथा घोषित किया कि सम्पूर्ण भारत में "कोई भी व्यक्ति" नहीं होगा। "केंद्र सरकार की अनुमति से बचाएं की बिक्री या खरीद के लिए किसी भी अनुबंध में प्रवेश करें ऐसे स्पॉट डिलीवरी अनुबंध के अलॉवा अन्य प्रतिभूतियाँ" जैसी हैं अधिनियम, नियमों, उपनियमों और के तहत अनुमत किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के विनियम। [पैरा 27- 28] [566-ई;

567-ए-डी]

2.2 विनियमन अधिनियम की धारा 2(i), "स्पॉट" को परिभाषित करती है डिलीवरी अनुबंध" वास्तविक के लिए प्रदान करने वाले अनुबंध के रूप में प्रतिभूतियों की डिलीवरी और उसकी कीमत का भुगतान या तो अनुबंध की तारीख के समान दिन पर या अगले दिन पर। मौजूदा मामले में, समझौता दिनांकित है 21.11.1994 अपीलकर्ता और प्रतिवादी क्रमांक 2 के बीच जो समझौता डिक्री का हिस्सा बना, प्रदान करता है कि शेयरों की बिक्री 30.10.1987 और में हुई थी। इस पर विचार करते हुए अपीलकर्ता ने दस रुपये का दिनांक 21.11.1994 भुगतान किया। और आगे समग्र लॉभांश लेखांकन वर्ष 1989-90 तक के शेयरों की राशि रु.8,64,850/- प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने पास रखे जाएंगे। इसके विपरीत, अपीलकर्ता की दलील है कि शांति खरीदने के लिए 10 लॉख का सौदा किया गया, यह स्वीकार करने योग्य नहीं है और, वास्तव में, यह इस पर प्रतिफल का हिस्सा बनता है शेयरों की बिक्री. इसलिए, लेनदेन नहीं आता है जैसा कि परिभाषित है, अभिव्यक्ति "स्पॉट डिलीवरी अनुबंध" के भीतर विनियमन अधिनियम की धारा 2(i) के तहत। [पैरा 6,32 और 33] [555-सीडी; 568-बी-सी, एच; 569-ए-डी]

केस कानून संदर्भ:

(1985) 57 कॉम. मामले विशिष्ट पैरा 12

700(बीएचसी)

(1994) 79 कॉम.केस 346 अस्वीकृत पैरा 12

(1983) 53 कॉम.केस स्वीकृत पैरा 12 367 (कलकत्ता)

(1988) 64 कॉम. स्वीकृत पैरा 12 259 (कलकत्ता)

2010 (6) एससीआर 1 पैरा 25 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7445/2004

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 1999 के एसीओ संख्या 76 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.07.2003 से

सुनील गुप्ता, मनोज, अपर्णा सिंघल, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, ई.सी. अग्रवाल, अपर्णा सिन्हा अपीलकर्ता के लिए।

भास्कर पी. गुप्ता, अभिजीत चटर्जी, एस. सुकुमारन,

आनंद सुकुमार, भूपेश कुमार पाठक (के. राजीव के लिए) उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय **चंद्रमौलि के.आर. प्रसाद, जे.** के द्वारा पारित गया

1.अपीलकर्ता, कंपनी न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 1999 के एसीओ नंबर 76 में पारित 30 जुलॉई, 2003 के फैसले और आदेश से व्यथित है, जो कंपनी लॉॅ बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र द्वारा पारित 25 नंवबर, 1998 के फैसले और आदेश की पुष्टि करता है। मूल याचिका संख्या 15(111)/ईआरबी/1995 में कलकत्ता की खण्डपीठ न्यायालय की अनुमति से हमारे समक्ष

2. अपीलकर्ता, भगवती डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, जिसे इसके बाद'भगवती' के रूप मे जाना जाता है, पहले लोढा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। तुहिन कांति घोष, जिन्हे इसके बाद 'तुहिन' कहा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने, प्रतिवादी नंबर 01 पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के 3530 इक्विटी शेयर खरीदने के लिए, 38,83,000/- रूपये के ऋण के लिए भगवती से संपर्क किया। अनुरोध के अनुसार, भगवती ने 25 जुलॉई, 1986 को तुहिन को ऋण रूप में 38,83,000/- रूपये की राशि दी। बाद में भगवती और तुहिन ने 19 नवंबर, 1986 को उपरोक्त ऋण के संबंध में एक औपचारिक समझौता

किया और तुहिन ने 31 दिसंबर, 1991 को या उससे पहले ऋण चुकाने का आश्वासन दिया। 30 अक्टूबर, 1987 को, तुहिन ने 3530 शेयर हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की। उपरोक्त ऋण की अदायगी के माध्यम से भगवती को अद्वितीय। इसके आलोक में, तुहिन ने भगवती को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए मूल शेयर स्क्रिप और ट्रांसफर डीड भी सौंप दिए। तुहिन ने 30 अक्टूबर, 1987 को लिखा कि भगवती इन सभी शेयरों के संबंध में सभी लॉभों यानी लॉभांश, बोनस शेयर आदि की हकदार होंगी। ऐसा लगता है कि स्थानांतरण विलेख ठीक से नहीं भरे गए, और निष्पादित नहींए किए गए और तदनुसार, भगती ने 28 दिसंबर, 1987 को तुहिन को नए स्थानांतरण विलेखों में अपने हस्ताक्षर करने और उन्हें वापस करने के लिए लिखा। भगवती ने तुहिन से पीयरलेस से प्राप्त शेयर और लॉभांश भेजने का अनुरोध किया। इन विकासों के दौरान, पीयरलेस ने 1%1 के अनुपात में बोनस शेयरों की घोषणा की और पंजीकृत शेयरधारक होने के नाते तुहिन को 3530 अतिरिक्त बोनस शेयर प्राप्त हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि तुहिन ने नए हस्तांतरण पत्रों पर हस्ताक्षर नही किए और बोनस शेयर अपने पास रख लिए। भगवती ने 6 जुलॉई, 1988 को अपने पत्र द्वारा तुहिन को कुल शेयरों यानी 7060 शेयरों के संबंध में नए हस्तांतरण विलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा। पीयरलेस ने वर्ष 1991 में

1%1 के अनुपात में अतिरिक्त बोनस शेयर घोषित किए और 7060 शेयरों के पंजीकृत शेयरधारक होने के कारण तुहिन को 7060 बोनस शेयर आवंटित किए गए। इस तरह तुहिन को कुल मिलॉकर 14120 शेयर मिले।

3. जब तुहिन ने पूरे शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए भगवती के अनुरोध को स्वीकार नही किया, तो भगवती ने 29, मई 1991 को इलॉहाबाद में सिविल जज की अदालत में एक मुकदमा दायर किया और तुहिन को किसी भी अधिकार, शीर्षक या दावा करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया। पीयरलेस के उपरोक्त 14120 शेयरों के संबंध में ब्याज। मुकदमें के लंबित रहने के दौरान, तुहिन और भगवती ने अपने विवाद को अदालत के बाहर सुलझा लिया और 21 नवंब्र, 1994 को एक समझौता किया, जिसके अनुसार तुहिन ने स्वीकार किया कि उसने 30 अक्टूबर, 1987 को भगवती को 3530 इक्विटी शेयर बेचे थे, जो उसे बोनस का हकदार बनाता था। वर्ष 1987 और 1991 में कुल 14120 इक्विटी शेयर घोषित किये गये। समझौते की शर्तो के तहत समझौते को दर्ज करने और समझौते की शर्तो के तहत डिक्री पारित करने के लिए सिविल सूट में एक आवेदन दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने भगवती और तुहिन की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और 28 नवंबर 1994 के फैसले और डिक्री द्वारा समझौते के संदर्भ में मुकदमे का फैसलॉ सुनाया।

ट्रायल कोर्ट ने आगे निदेर्श दिया कि समझौता याचिका और पक्षों के बीच समझौता भी इसका हिस्सा होगा। समझौता डिक्री के अनुसार, यह सहमति हुई कि तुहिन निपटान के विचार के हिस्से के रूप में लेखांकन वर्ष 1989-90 तक संपूर्ण शेयरों पर 8,64,850/- रूपये का लॉभांश पूर्ण मालिक के रूप में बरकरार रखेगा। समझौता डिक्री के संदर्भ में, भगवती ने 21 नवंबर, 1994 के वेतन आदेश के माध्यम से 10 लॉख रूपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान भी किया है।

4. डिक्री से लैस, भगवती ने 12 दिसंबर, 1994 को 14120 शेयरों के संबंध में हस्तांतरण विलेख पीयरलेस के पास उनके हस्तांरण के लिए दर्ज कराए। हालॉेकि, पीयरलेस ने भगवती की प्रार्थना स्वीकार नही की और अपने पत्र दिनांक 8 फरवरी, 1995 द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर उक्त शेयरों को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया कि तुहिन द्वारा भगवती के पक्ष में शेयरों का हस्तांतरण उल्लंघन था। प्रतिभूति अनूबंध (विनियमन)अधिनियम, 1956 के प्रावधान, इसके बाद इसे ' विनियमन अधिनियम, 1956 के रूप में जाना जाएगा। पीयरलेस के अनुसार, शेयरों की बिक्री का अनुबंध स्पाॅट डिलीवरी अनुबंध नहीं था, तुहिन के हस्ताक्षर पीयरलेस के रिकाॅर्ड पर हस्ताक्षर से भिन्न थे और इसके अलॉवा हस्तांतरण के उपकरणों पर लगाए गए टिकटों को रद् नहीं

किया गया था। भगवती ने 14 फरवरी, 1995 को स्थानांतरण के लिए शेयरों को पीयरलेस के पास दोबारा दर्ज कराया लेकिन फिर से पीयरलेस ने उन शेयरों को भगवती के नाम पर पंजीकृत नहीं किया।

5. इससे व्यथित भगवती ने कंपनी अधिनियम ,1956 की धारा 111 के तहत एक आवेदन दायर करके कंपनी लॉ बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र से संपर्क किया, जिसके इसके बाद ' अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, और कंपनी लॉ बोर्ड ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 25 नवंबर द्वारा 1998 ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए उक्त आवेदन को खारिज कर दिया कि भगवती के पक्ष में शेयरों का हस्तांतरण विनियम अधिनियम की धारा 13 और 16 के प्रावधानों के खिलॉफ था और इस तरह, अवैध था। कंपनी लॉॅ बोर्ड की राय में पीयरलेस ने हस्तांतरण के पंजीकरण से इन्कार करना सही समझाा। ऐसा करते समय, कंपनी लॉॅ बोर्ड ने आगे देशा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर जो स्टाॅक एक्संज में पंजीकृत नहीं है, वे भी निनियम अधिनियम के दायरे में आते हैं। इस संबंध में, कंपनी लॉ बोर्ड ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

'' इसलिए, हम मानते हैं कि एससीआर अधिनियम, 1956 के प्रावधान जिसमें अधिनियम की धारा 13, 16, और 17

के प्रावधान शामिल हैं, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी पर लॉगू होंगे, भले ही इसके शेयर किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हों। ''

6. अपीलकर्ता की इस दलील के संबंध में कि विचाराधीन शेयरों की बिक्री एक स्पॉट डिलीवरी अनुबंध है, कंपनी लॉ बोर्ड ने इस बात को ध्यान में रखा है कि शेयरों की बिक्री के लिए भुगतान उस तारीख के बाद किया गया है जिस दिन शेयरों की ब्रिक्री हुई है, देखा गया कि लेनेदेने विनियमन अधिनियम की धारा 2(प) के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति, '' स्पाॅट डिलीवरी अनुबंध '' के अंतर्गत निम्नलिखित बातें कहीः

'' इसलिए, यह स्पष्ट है कि शेयरों की बिक्री पर विचार का एक हिस्सा उस तारीख के काफी बाद पारित हुआ जिस दिन शेयरों की बिक्री कथित तौर पर 30.10.87 को हुई थी। हम श्री बोस के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि 10.00 लॉख रूपये का भुगतान केवल शांति खरीदने के लिए किया गया था। हमने पाया कि दिनांक 21.11.94 के समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10.00 लॉख रूपये का भुगतान शेयरों की बिक्री के लिए

विचार के एक भाग के रूप में किया गया था और हम यह देखने में विफल हैं कि इसे अन्यथा कैसे माना जा सकता है। दिनांक 21.11.94 के समझौते में अन्य आंतरिक साक्ष्य हैं जो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बोस के तर्क के विरूद्ध संकेत देते हैं कि शेयरों की बिक्री का पूरा लेनेदेन 30.10.87 को पूरा हुआ था। उक्त समझौते के खंड 2.1 में प्रावधान है कि दिनांक 21.11.94 के समझौते में कहीं भी कुछ भी शामिल होने के बावजूद, जो याचिकाकर्ता के लिए श्री बोस विद्वान अधिवक्ता के तर्क के खिलॉफ इंगित करता है कि शेयरों की बिक्री का पूरा लेनदेन 30.10.87 को पूरा हो गया था। उक्त समझौते के खंड 2.1 में प्रावधान है कि दिनांक 21.11.94 के समझौते में कहीं भी कुछ भी शामिल होने के बावजूद। इस बात पर सहमति हुई कि प्रतिवादी नंबर 2, निपटान के लिए विचार के हिस्से के रूप में लेखांकन वर्ष 1989-90 तक 8,64,850/- रूपये की राशि के पूरे शेयरों पर लॉभांश के पूर्ण मालिक के रूप में बनाए रखने का हकदार होगा। यह कल्पना करना कठिन है कि यदि बिक्री 30.10.87 को पूरी हो गई तो प्रतिवादी नंबर 2

1989-90 तक शेयरों का पूर्ण मालिक कैसे बना रह सकता है।

7. तदनुसार, कंपनी लॉ बोर्ड निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचाः

‘‘ इसलिए, हम मानते है कि विचाराधीन शेयरों की बिक्री का अनुबंध स्पॉट डिलीवरी अनुबंध की परिभाषा को पूरा नहीं करता है क्योंकि विचार का हिस्सा 30.10.87 को शेयरों की कथित बिक्री के बहुत बाद पारित हुआ। ’’

8. मूल याचिका संख्या 15 (111)/ईआरबी/1995 में पारित कंपनी लॉ बोर्ड के उपरोक्त निर्णय और आदेश की आलोचना करते हुए, भगवती ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपनील दायर की, अन्य बातों के अलॉवा, यह तर्क देते हुए कि पीयरलेस, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयर किसी भी मान्यता प्राप्त स्टाॅक एक्सचेंज् में सूचीबद्ध नहीं होने के कारण, यह विनियमन अधिनियम की धारा 2(एच)(प) के तहत 'प्रतिभूतियों की परिभाषा में नहीं आएगा। इसके अलॉवा इसके और तुहिन के बीच लेनेदेने स्पॉट डिलीवरी अनुबंध का मामलॉ था। और इसलिए, दोनों मामलों में कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है। कंपनी जज ने दोनो दलीलों को खारिज कर दिया ओर कहा कि विनियमन अधिनियम

के प्रावधान एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर लॉगू होंगे, भले ही उसका शेयर किसी भी मान्यता प्राप्त स्टाॅक एक्सचेंज से सूचीबद्ध ने हो। इसके अलॉवा, लेने-देने स्पाॅट डिलीवरी अनुबंध की परिभाषा को पूरा नही करता है क्योंकि विचार का हिस्सा 21 नवम्बर, 1994 को पारित हुआ था, जब भगवती ने 30 अक्टुबर, 1987 को शेयरों कें हस्तांतरण के काफी बाद तुहिन को 10 लॉख रूपये को भुगतान किया था। उपरोक्त निष्कर्ष पर, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि समझौता डिक्री के संदर्भ में विचार के हिस्से के रूप में तुहिन ने लेखांकन वर्ष 1989-90 तक बोनस शेयरां सहित पूरे शेयरों पर सभी लॉभांश को पूर्ण मालिक के रूप में बरकरार रखा। इस संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणी इस प्रकार हैः

> ‘‘ उपर्यक्त पृष्ठभूमि में, मेरे विचार से, कंपनी लॉ ॅ बोर्ड द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्षों पर ध्यान देना आवश्यक है। कंपनी लॉ बोर्ड ने तथ्य के निष्कर्ष के रूप में पाया कि प्रतिभूमि अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रावधान एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी पर लॉगू होंगे, भले ही इसके शेयर किसी भी मान्यता प्राप्त स्टाॅक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हों आग्र, यह माना गया कि स्पष्ट था कि शेयरों

की बिक्री पर विचार का हिस्सा 30 अक्टूबर, 1987 को शेयरां की बिक्री की तारीख के काफी बाद पारित हुआ । 21 नवंबर 1994 को भगवती द्वारा तुहिन को केवल 10,00,00/- रूपये दस लॉख रूपये का भुगतानल उक्त शेयरों की बिक्री के लिए विचार का एक हिस्सा था और आगे, भगवती ओर तुहिन के बीच यह सहमति हुई कि तुहिन विचार के भाग के रूप में लेखांकन वर्ष 1989-1990 तक बोनस शेयरां सहित संपूर्ण शेयरो पर लॉभांश के पूर्ण स्वामी के रूप में बने रहने का हकदार होगा। यह लेन-देन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध की परिभाषा को पूरा नहीं करता है क्योंकि विचार का कुछ हिस्सा 30 अक्टूबर, 1987 को शेयरों के हस्तांतरण के काफी बाद पारित किया गया था। इसके अलॉवा, सभी शेयर ट्रांसफर फार्म 21 नवंबर 1994 की तारीख के थे, यानी उस तारीख को जब 10,00,000/- रूपये दस लॉख रूपये का भुगतान केवल भगवती से तुहिन को दिया गया था। इसलिए विनियम अधिनियम, 1956 की धारा 13 और 16 के प्रावधानों से प्रभावित था और इसलिए, अवैध, शून्य और अमान्य था।

9. अंततः, उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

''कंपनी लॉ बोड ने अपने सामने रखी गई सभी सामग्रियों पर विचार किया है और उसके बाद, इस तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादित लेनेदेने प्रतिभूति अनुबंध विनियम अधिनियम,1956 के प्ावधानों और सराकर द्वारा जारी दिशानिर्देशों से प्रभावित है। भारत। कंपनी लॉ बोर्ड को इस अर्थ में विकृत नही कहा जा सकता कि कोई भी सामान्य व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा होगा। तथ्य के निष्कर्ष के रूप में, कंपनी लॉ बोर्ड ने पाया कि शेयरों के हस्तांतरण के लिए विचार में 21 नवंबर 1994 को भगवती द्वारा तुहिन को भुगतान किए गए 10,00,000/- रूपये दस लॉख रूपये शामिल थे। उक्त निष्कर्ष टिकाउ है। कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा दिया गया तर्क, इसलिए इस अपील में हस्तक्षेप नही किया जा सकता है।'' इस प्रकार, अपीलकर्ता न्यायालय की अनुमति से हमारे सामने है।

10. यहां यह बताना प्रासंगिक है कि कंपनी लॉ बोर्ड ने माना है कि भगवती के पक्ष में शेयरों का हस्तांतरण विनियमन अधिनियम की धारा 13 और 16 के तहत है और इसलिए, हम उपरोक्त प्रावधानों को एक के बाद एक संदर्भित करना समीचीन मानते हैं। विनियमन अधिनियम की धारा 13 कुछ परिस्थितियों में अधिसूचित क्षेत्रों में अनुबंध को अवैध

बनाती है, जो इस प्रकार है:

"13. **अधिसूचित क्षेत्रों में अनुबंध कुछ परिस्थितियों में अवैध हैं**- यदि केंद्र सरकार किसी राज्य या राज्यों या क्षेत्र में प्रतिभूतियों में लेनदेन की प्रकृति या मात्रा को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है, कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा कर सकती है आधिकारिक राजपत्र में, इस धारा को ऐसे राज्य या राज्यों या क्षेत्र पर लॉगू होने की घोषणा करें और उसके बाद ऐसे राज्य या राज्यों या क्षेत्र में प्रत्येक अनुबंध, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यता प्राप्त सदस्यों के बीच अधिसूचना की तारीख के बाद दर्ज किया जाता है। ऐसे राज्य या राज्यों या क्षेत्र में या ऐसे सदस्य के माध्यम से या उसके साथ स्टॉक एक्सचेंज अवैध होंगे: बशर्ते कि ऐसे राज्य या राज्यों या क्षेत्र में दो या दो से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के बीच किया गया कोई भी अनुबंध,-

i) ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पूर्व मंजूरी के साथ संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं;

ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पूर्व मंजूरी के साथ स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित होने पर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों से पूर्व अनुमति

की आवश्यकता होती है।

11.उपरोक्त प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि अधिसूचित क्षेत्रों में प्रतिभूतियों के संबंध में अनुबंध अवैध है यदि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के बीच अन्यथा किया जाता है। यह विवाद में नहीं है कि जिस स्थान पर शेयरों की बिक्री का अनुबंध किया गया है वह विनियमन अधिनियम की धारा 13 के प्रयोजन के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र है। इसके अलॉवा, अनुबंध किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के बीच नहीं है।

12.इस कठिनाई को दूर करने के लिए, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुनील गुप्ता ने कहा कि विचाराधीन सुरक्षा विपणन योग्य नहीं है और इसलिए, धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित "प्रतिभूतियों" की परिभाषा में नहीं आती है।)(i) विनियमन अधिनियम के. उनके अनुसार, विनियमन अधिनियम के तहत प्रतिभूतियों की परिभाषा के अंतर्गत आने के लिए एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों को विपणन योग्य होना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना आवश्यक है। श्री गुप्ता आगे बताते हैं कि उपरोक्त कथन को दहिबेन उमेदभाई पटेल और अन्य बनाम नॉर्मन जेम्स

हैमिल्टन और अन्य के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से समर्थन मिलता है। (1985) 57 कॉम. मामले 700 (बीएचसी) और ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड बनाम यू.बी. लिमिटेड और अन्य के मामले में। (1994) 79 कॉम.केस 346 (बीएचसी)। निष्पक्षता में, उन्होंने हमारा ध्यान बी.के. होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम प्रेम चंद जूट मिल्स और अन्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया है। (1983) 53 कॉम.केस 367 (कैलोरी) और ईस्ट इंडियन प्रोड्यूस लिमिटेड बनाम नरेश आचार्य भादुड़ी और अन्य के मामले में। (1988) 64 कॉम. मामले 259 (कैलोरी) जिन्होंने बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। उनका तर्क है कि बंबई के फैसले ठोस तर्क पर आधारित हैं और इसलिए, हमारी स्वीकृति की सराहना करते हैं।

13. प्रतिवादी नंबर 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री भास्कर पी. गुप्ता का कहना है कि विनियमन अधिनियम के प्रावधान एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों पर लॉगू होते हैं जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। उनके अनुसार, किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की प्रतिभूतियों को विपणन योग्य बनाने के लिए, इसे किसी निर्दिष्ट प्रकृति के बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज में बेचने की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि यह कोई भी क्षेत्र हो सकता है

जहां खरीदार और विक्रेता एक-दूसरे के संपर्क में हैं और वहां प्रतिभूतियां बेची जा सकती हैं।

14.प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के मद्देनजर, पहलॉ सवाल जो हमारे निर्धारण के लिए आता है वह यह है कि क्या विनियमन अधिनियम के प्रावधान किसी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों पर लॉगू होंगे जो कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं?

15.माना जाता है कि, पीयरलेस, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसके संबंध में अपीलकर्ता ने सुधार की मांग की थी, के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। हमारी राय में, इसके बावजूद कि यदि शेयर विनियमन अधिनियम की धारा 2(एच)(आई) के तहत परिभाषित "प्रतिभूतियों" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, तो धारा 13 में निहित अभियोग लॉगू होंगे। शब्द, 'प्रतिभूतियां' को विनियमन अधिनियम की धारा 2(एच)(i) के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

"2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

"(ज) "प्रतिभूतियाँ" में शामिल हैं-

(i) किसी निगमित कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट के शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या समान प्रकृति की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां;" "

16. प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों को प्रतिभूतियों की परिभाषा में आने के लिए उन्हें संतुष्ट करना होगा कि वे विपणन योग्य हैं। विनियमन अधिनियम में 'विपणन योग्य' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए इसे समझने के लिए, हमें इसके शब्दकोश अर्थ पर वापस जाना होगा। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (छठा संस्करण) 'मार्केटेबल' शब्द की व्याख्या इस प्रकार करता है:

"विपणन योग्य। बिक्री योग्य. ऐसी चीज़ें जो बाज़ार में बेची जा सकें;

17. जिनके लिए खरीदार मिल सकता है; व्यापारिक।" ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का संक्षिप्त संस्करण, खंड I पृष्ठ 1728 "विपणन योग्य" अभिव्यक्ति का अर्थ इस प्रकार देता है:

"1. विपणन किए जाने योग्य जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है या किया जा सकता है; बाज़ार के लिए उपयुक्त; उसे एक तैयार बाज़ार मिल जाता है; वह मांग में है, बिक्री योग्य है।

2. खरीदने या बेचने से संबंधित या उससे संबंधित; व्यापार से संबंधित; कीमत, मूल्य, जो खरीदने या बेचने से प्राप्त किया जा सकता है।

18.जैसा कि ऊपर दिए गए शब्दकोश अर्थ से स्पष्ट है, अभिव्यक्ति "विपणन योग्य" को बिक्री योग्य शब्द के साथ जोड़ा गया है। दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है वह विपणन योग्य है। बाज़ार का आकार कोई मायने नहीं रखता. दूसरे शब्दों में, ऐसे शेयर खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या निर्णायक नहीं होगी। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सूचीबद्ध शेयरों के लिए भी कोई खरीदार नहीं हो सकता है। ऐसे में क्या यह कहा जा सकता है कि सूचीबद्ध शेयर भी विपणन योग्य नहीं हैं? हमारी राय में जो आवश्यक है वह निःशुल्क हस्तांतरणीयता है। कुछ सीमित वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन, शेयरधारकों को अपने शेयर, जब और जिसे वे चाहें, स्थानांतरित करने का अधिकार है। यह वह अधिकार है जो निःशुल्क हस्तांतरणीयता की आवश्यकता को पूरा करता है। हालाँकि, जब क़ानून कठिन शर्तों या

प्रतिबंधों के साथ किसी विशिष्ट श्रेणी के लोगों को शेयरों के हस्तांतरण पर रोक लगाता है या सीमित करता है, तो शेयरधारकों का हस्तांतरण या मुफ्त हस्तांतरणीयता का अधिकार खतरे में पड़ जाता है और उस स्थिति में इन सीमाओं वाले शेयरों को विपणन योग्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, हमारी राय में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर हालाँकि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, प्रतिभूतियों की परिभाषा में आते हैं और इसलिए, विनियमन अधिनियम के प्रावधान लॉगू होते हैं। ईस्ट इंडियन प्रोड्यूस लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच बी.के.होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए उसी निष्कर्ष पर पहुंची और इस प्रकार रखी:

> "मेरे विचार में मामले के इस पहलू पर श्री दीपांकर गुप्ता के तर्क को स्वीकार करना "विपणन योग्य प्रतिभूतियों की अभिव्यक्ति को बहुत संकीर्ण अर्थ देना होगा। जैसा कि ऊपर दिए गए शब्दकोषीय अर्थ से स्पष्ट होगा, "विपणन योग्य" का अर्थ "बिक्री योग्य" के साथ जोड़ा गया है। दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है वह विपणन योग्य है। मुझे "विपणन योग्य प्रतिभूतियों" की

अभिव्यक्ति को केवल उन प्रतिभूतियों तक सीमित करने के लिए कोई वारंट नहीं दिखता है जो स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत हैं। इसलिए श्री गुप्ता का यह तर्क विफल हो जाता है।"

19. यह सच है कि दहिबेन उमेदभाई पटेल (सुप्रा) के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह विचार किया है कि एक निजी कंपनी के शेयरों में तरलता का चरित्र नहीं होता है और इसलिए, उन्हें विपणन योग्य नहीं कहा जा सकता है। फैसले का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक निजी कंपनी के शेयरों में तरलता का चरित्र नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि शेयरों के खरीदार को यह गारंटी नहीं दी जा सकती है कि वह कंपनी के सदस्य के रूप में पंजीकृत होगा। ऐसे शेयरों को बाज़ार में नहीं बेचा जा सकता है या दूसरे शब्दों में, उन्हें विपणन योग्य नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, "प्रतिभूतियों" की परिभाषा के अंतर्गत "विपणन योग्य सुरक्षा..." के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

20. हमें शुरू में यह कहना चाहिए कि यह मामलॉ एक

निजी कंपनी से संबंधित है और मुफ्त हस्तांतरणीयता की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, शेयरों को विनियमन अधिनियम की धारा 2 (एच) (आई) के तहत परिभाषित विपणन योग्य प्रतिभूतियों के रूप में नहीं रखा गया था। यह उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश से स्पष्ट होगा:

> "...एक बाज़ार, इसलिए, एक मुफ़्त लेनदेन पर विचार करता है जहाँ शेयरों को शीर्षक के संबंध में किसी भी प्रतिबंध के बिना बेचा और खरीदा जा सकता है। इसलिए, जो शेयर बाजार में बेचे जाते हैं, उनमें मुक्त हस्तांतरणीयता के चरित्र के कारण उच्च स्तर की तरलता होनी चाहिए। निःशुल्क हस्तांतरणीयता का ऐसा चरित्र केवल सार्वजनिक कंपनी के शेयरों में ही पाया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में "निजी कंपनी" की परिभाषा उन प्रतिबंधों की बात करती है जिनके लिए निजी कंपनी के लेखों को प्रदान करना होगा। शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में प्रतिबंध एक निजी कंपनी की विशेषता ह.. "...

21. वर्तमान मामले में, हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी से चिंतित हैं और उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर प्रतिभूतियों की परिभाषा में आएंगे। यह उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश से स्पष्ट होगा:

> "इस प्रकार यह हमारे लिए स्पष्ट है कि" प्रतिभूतियों "की परिभाषा में केवल" किसी निगमित कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट "शब्दों के उपयोग के बावजूद केवल एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयर शामिल होंगे।"

22. इन सभी कारणों से, हमारी राय है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है।

23. जैसा कि पहले कहा गया है, ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दहिबेन उमेदभाई पटेल (सुप्रा) में अपने पहले डिवीजन बेंच के फैसले का पालन किया था और प्रथम दृष्टया विचार व्यक्त किया था कि शेयरों का लेनदेन स्टॉक एक्सचेंज पर गैर-सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी को विनियमन अधिनियम के तहत कवर करने का इरादा नहीं है। ऐसा करते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने बी.के. के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय

के निर्णयों का उल्लेख किया था। होल्डिंग्स (सुप्रा) और ईस्ट इंडियन प्रोड्यूस लिमिटेड (सुप्रा) लेकिन बिना कोई कारण बताए उन निर्णयों के अनुपात से असहमत थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दहिबेन उमेदभाई पटेल (सुप्रा) के मामले में पहले डिवीजन बेंच के फैसले का पालन करने के लिए खुद को बाध्य पाया। इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणी इस प्रकार है:

> "इसके विपरीत, इन दो निर्णयों के बारे में मेरा प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण श्री मेहता की प्रस्तुति से मेल खाता है। मेरा प्रथम दृष्टया विचार है कि स्टॉक एक्सचेंज में असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों का लेनदेन इस अधिनियम द्वारा शासित होने का इरादा नहीं है।
>
> श्री कूपर ने ईस्ट इंडियन प्रोड्यूस लिमिटेड (1988) 64 कॉम्प में कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। इस मुद्दे पर भी केस 259. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बी.के. मामले में उसी उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया। होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम प्रेम चंद जूट मिल्स (1983)

53 कॉम्प कैस 367। उस स्तर पर, श्रीमती मनोहर जे के फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उद्धृत किया गया था। उनका मानना था कि नॉर्मन जे हैमिल्टन बनाम उमेदभाई एस पटेल (1979) 49 कॉम्प कैस 1 में श्रीमती मनोहर जे का निर्णय एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण की स्थिति तक ही सीमित होना चाहिए। जहां तक ईस्ट इंडियन प्रोड्यूस लिमिटेड (1988) 64 कॉम्प कैस 259 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले का सवाल है, यह बी.के. में पहले के फैसले का पालन करता प्रतीत होता है। जोत. कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के प्रति बहुत सम्मान के साथ, जिन्होंने उपरोक्त दो मामलों का फैसलॉ किया, भले ही मामलॉ एकीकृत न हो, मैं उसमें की गई उनकी टिप्पणियों से असहमत होना चाहूंगा। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णयों और हमारी अदालत के अपील निर्णय को ध्यान में रखते हुए, मैं खुद को यह विचार करने के लिए बाध्य मानता हूँ कि प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 का उद्देश्य निजी लेनदेन को

विनियमित करना नहीं है। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के शेयरों में, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। इसलिए, यह विवाद भी विफल हो जाता है।"

24. विनियमन अधिनियम "प्रतिभूतियों में लेनदेन के व्यवसाय को विनियमित करके अवांछनीय लेनदेन" को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था और इससे कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि यह केवल स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों के हस्तांतरण पर लॉगू होना था। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट इस तथ्य से काफी प्रभावित था कि इस अधिनियम का उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेन को नियंत्रित करना था। जैसा कि पहले कहा गया है, हमें अधिनियम के उद्देश्य में ऐसा कुछ भी नहीं मिलॉ जो उस निष्कर्ष की पुष्टि करता हो। हम, ऊपर बताए गए कारणों से, ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड (सुप्रा) में बॉम्बे हाई कोर्ट के दृष्टिकोण का समर्थन करने के इच्छुक नहीं हैं।

25. नरेश के. अग्रवाल एंड कंपनी बनाम कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य (2010) 6 एससीसी 178 के मामले में इस न्यायालय के फैसले से हम अपने दृष्टिकोण से मजबूत हुए हैं, जिसमें इस

न्यायालय ने "प्रतिभूतियां" शब्द को परिभाषित माना था। विनियमन अधिनियम की धारा 2(एच)(आई) के तहत, धारा 16(2) के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में और माना गया कि परिभाषा सूचीबद्ध प्रतिभूतियों और असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के बीच कोई अंतर नहीं करती है। फैसले का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "41........उपरोक्त उद्धृत परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि यह सूचीबद्ध प्रतिभूतियों और असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के बीच कोई अंतर नहीं करता है और इसलिए यह स्पष्ट है कि परिपत्र उन प्रतिभूतियों पर लॉगू होगा जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं........ ...."

26. जब 'प्रतिभूति' शब्द को विनियमन अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है, तो एक ही क़ानून में एक ही शब्द का एक से अधिक स्थानों पर उपयोग होने पर इसका अर्थ भिन्न नहीं होगा, अन्यथा यह पराजित हो जाएगा परिभाषा अनुभाग का मूल उद्देश्य। तदनुसार, पहले निर्धारित पहले प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि विनियमन अधिनियम के प्रावधान पब्लिक लिमिटेड कंपनी की असूचीबद्ध प्रतिभूतियों को कवर करेंगे। दूसरे शब्दों में, स्टॉक-एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किए गए पब्लिक

लिमिटेड कंपनी के शेयर विनियमन अधिनियम के दायरे में आते हैं।

27. जैसा कि फैसले के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में कहा गया है, कंपनी लॉ बोर्ड ने माना है कि भगवती के पक्ष में शेयरों का हस्तांतरण भी विनियमन अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के खिलॉफ था। अधिनियम की धारा 16(1) केंद्र सरकार को कुछ मामलों में अनुबंधों पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 16 इस प्रकार है:

> **"16. कुछ मामलों में अनुबंधों पर रोक लगाने की शक्ति.-**
> (1) यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी राज्य या क्षेत्र में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में अवांछित सट्टेबाजी को रोकना आवश्यक है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना में निर्दिष्ट राज्य या क्षेत्र में, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना, अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी सुरक्षा की बिक्री या खरीद के लिए किसी भी सीमा और तरीके को छोड़कर, यदि कोई हो, उसमें निर्दिष्ट अनुबंध में प्रवेश करेगा। .
>
> (2) उप के प्रावधानों के उल्लंघन में सभी अनुबंध-इसके तहत जारी अधिसूचना की तारीख के बाद दर्ज की गई धारा

(1) अवैध होगी।"

28. उपरोक्त प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि किसी भी राज्य या क्षेत्र में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में अवांछनीय शर्तों को रोकने के लिए केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित करने में सक्षम है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी राज्य या क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, केंद्र सरकार की अनुमति से, अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी सुरक्षा की बिक्री या खरीद के लिए कोई अनुबंध में प्रवेश करें। उपरोक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 27 जून, 1969 को अधिसूचना जारी की और घोषणा की कि पूरे भारत में "कोई भी व्यक्ति" केंद्र सरकार की अनुमति से प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के लिए किसी भी अनुबंध में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसे स्पॉट डिलीवरी अनुबंध के अलॉवा" जैसा कि किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अधिनियम, नियमों, उपनियमों और विनियमों के तहत अनुमत है। इसलिए, अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 16 की कठोरता से तभी बाहर आ सकता है जब वह संतुष्ट हो कि लेनदेन "स्पॉट डिलीवरी अनुबंध" की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

29. श्री सुनील गुप्ता ने आगे कहा कि विचाराधीन अनुबंध एक स्पॉट डिलीवरी अनुबंध है और इसलिए, विनियमन अधिनियम की धारा 16 के

दायरे में नहीं आता है। श्री भास्कर पी. गुप्ता, मुद्दे से जुड़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि सीमित नियम के मद्देनजर अपीलकर्ता को स्पॉट डिलीवरी अनुबंध का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में, उन्होंने हमारा ध्यान 19 दिसंबर, 2003 के आदेश की ओर आकर्षित किया है। हम प्रतिवादी के वकील की इस आपत्ति को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।

30. उपरोक्त आदेश के अनुसार नियम जारी करते समय इस न्यायालय ने विनियमन अधिनियम की प्रयोज्यता के प्रश्न के संबंध में बॉम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों के संबंध में अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलील पर ध्यान दिया। उपरोक्त से यह नहीं कहा जा सकता कि सीमित नियम जारी किया गया था। इसके अलॉवा, आदेश दिनांक 5.11.2004 द्वारा इस न्यायालय द्वारा छुट्टी दी गई है और इसे किसी विशिष्ट प्रश्न तक सीमित नहीं किया गया है। उपरोक्त से यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलॉर्थी को सीमित नियम प्राप्त है।

31 .योग्यता के आधार पर, उत्तरदाताओं का कहना है कि विचाराधीन अनुबंध को स्पॉट डिलीवरी अनुबंध नहीं कहा जा सकता है और इस संबंध

में, विद्वान वरिष्ठ वकील समझौते की शर्तों पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जो डिक्री का हिस्सा थे।

32. इसलिए, दूसरा प्रश्न, जो हमारे निर्धारण के लिए उपयुक्त है, वह यह है कि क्या विचाराधीन अनुबंध स्पॉट डिलीवरी अनुबंध है। यह अभिव्यक्ति विनियमन अधिनियम की धारा 2(i) के तहत परिभाषित है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) "स्पॉट डिलीवरी अनुबंध" का अर्थ एक अनुबंध है जो प्रदान करता है

(ए) प्रतिभूतियों की वास्तविक डिलीवरी और उसके मूल्य का भुगतान या तो अनुबंध की तारीख के उसी दिन या अगले दिन, प्रतिभूतियों के प्रेषण या डाक के माध्यम से धन के प्रेषण के लिए ली गई वास्तविक अवधि यदि अनुबंध के पक्ष एक ही शहर या इलॉके में नहीं रहते हैं तो उपरोक्त अवधि की गणना से बाहर रखा जा रहा है;

(बी) किसी लॉभार्थी स्वामी के खाते से डिपॉजिटरी द्वारा प्रतिभूतियों का किसी अन्य लॉभार्थी स्वामी के खाते में स्थानांतरण, जब ऐसी प्रतिभूतियों का निपटान किसी डिपॉजिटरी द्वारा किया जाता है;

33" परिभाषा के अनुसार, प्रतिभूतियों की वास्तविक डिलीवरी और उसकी कीमत का भुगतान या तो अनुबंध की तारीख के उसी दिन या अगले दिन प्रदान करने वाले अनुबंध का मतलब स्पॉट डिलीवरी अनुबंध है। जब हम उपरोक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि विचाराधीन अनुबंध स्पॉट डिलीवरी अनुबंध नहीं है।

यह सच है कि तुहिन द्वारा भगवती को लिखे गए 30 अक्टूबर, 1987 के पत्र में उन्होंने कहा था कि 10 नवंबर, 1986 को उनके बीच औपचारिक समझौता हुआ था और समझौते के अनुसार वह पीयरलेस के खरीदे गए पूरे 3530 शेयर हस्तांतरित कर रहे हैं। ऋण राशि से और हस्तांतरण उसके पुनर्भुगतान में होता है। हालाँकि, भगवती और तुहिन के बीच 21 नवंबर, 1994 को हुआ समझौता, जो समझौता डिक्री का हिस्सा था, यह प्रावधान करता है कि शेयरों की बिक्री 30 अक्टूबर, 1987 को हुई और उसके विचार में भगवती ने रुपये की राशि का भुगतान किया। 21

नवंबर, 1994 को 10 लॉख रुपये और इसके अलॉवा लेखांकन वर्ष 1989-90 तक पूरे शेयरों पर 8,64,850 रुपये का लॉभांश तुहिन द्वारा बरकरार रखा जाएगा। इसके सामने भगवती की दलील थी कि रुपये का भुगतान किया जाए। शांति खरीदने के लिए 10 लॉख रुपये का भुगतान किया गया था, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है और वास्तव में, यह शेयरों की बिक्री के लिए विचार का हिस्सा है। एक बार जब हम यह विचार कर लेते हैं, तो अपीलकर्ता की यह दलील कि यह एक स्पॉट डिलीवरी अनुबंध है, खारिज करने योग्य है। हम इस मुद्दे पर कंपनी लॉ बोर्ड और उच्च न्यायालय के तर्क और निष्कर्ष से सहमत हैं।

34. अपीलकर्ता के दोनों तर्कों में कोई दम नहीं है, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है और इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लॉगत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

अपील खारिज.

शहनाज खांन लौहार, (आर०जे०एस०)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शहनाज खांन लौहार, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।